ग्राम पंचायत चकमोह , विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश - 176039 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग- एक

1. प्रस्तावना:-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चकमोह, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत चकमोह, विकास खण्ड बिझड़ी में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:

क्र॰ सं	नाम	अवधि
1	श्री पवन कुमार	22.01.11 से 22.01.16
2	श्रीमति फूलां देवी	23.01.16 से लगातार

सचिव:

क्र॰ सं	नाम	अवधि
1	श्री रविन्दर कुमार	01.04.2015 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:

ग्राम पंचायत चकमोह, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के लेखाओं अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	अनुदान का उपयोग न करना।	21.15
2	8(2)	विवाह पंजीकरण शुल्क की कम वसूली	0.02
3	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.61
4	13	क्रय की गई सामग्री का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करना	0.66
5	14	संकर्मों के संबंध में माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत न करना:	7.44
6	15	बिल/ वाउचरों में आवश्यक विवरणों एवं विशिष्टताओं के अभाव में चार्ज दरों की उपयुक्तता का आकलन न हो पाना:	0.71
7	16(2)	सड़क मुरम्मत जरल सथ वार्ड 3(पेवर वर्क) कार्य में तकनीकी सहायक द्वारा कार्य का अधिक मूल्यांकन	0.09

भाग- दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:–

ग्राम पंचायत चकमोह, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री श्रीराम सुनील, अनुभाग अधिकारी तथा श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28-08-2018 से 31-08-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

अवधि	आय	व्यय
2015-16	03/2016	08/2015
2016-17	04/2016	03/2017
2017-18	04/2017	02/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत चकमोह , विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7,200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009" को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:FIN/LAD/HMR/2018-60 दिनांक 31 /08/2018 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत चकमोह से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को के०सी०सी० बैंक के माँग ड्राफ्ट **संख्या: 221711 दिनांक 04-09-2018** के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया I

4. वितीय स्थिति: -

ग्राम पंचायत चकमोह, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी: -

(1) स्वस्त्रौत:

ग्राम पंचायत चकमोह, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण: -

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिमशेष ₹
2015-16	664491	894822	1559313	796271	763042
2016-17	763042	1034703	1797745	495689	1302056
2017-18	1302056	705727	2007783	664181	1343602

(2) अनुदान:

ग्राम पंचायत चकमोह, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:-

(3) दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत चकमोह, विकास खण्ड बिझड़ी के बैंक खातों में

वर्ष	अथ शेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2015-16	374911.90	2054126.00	2429037.9	1828260.98	600776.92
2016-17	600776.92	3072515.00	3673291.92	2354453.18	1318838.74
2017-18	1318838.74	3949264.00	5268102.74	3152852	2115250.7

अन्तिम शेषों का विवरण:

क्रम संख्या	बैंक	शीर्ष	बैंक खाता संख्या:	राशि ₹
1	KCCB Chakmoh	GCB- A	20137004422	1343491
2	KCCB Chakmoh	GCB-B	20137012412	237362
3	PNB Chakmoh	SBM	8702000100005715/	410384.3
4	PNB Chakmoh	14th	8702000100009933/	1406236.4
5	KCCB Chakmoh	IWMP-IV	50055077874	13825
6	KCCB Chakmoh	IWMP	50060957035	47443
	TOTAL BALANCE			3458741.7
	CASH IN HAND			111
	G.TOTAL			3458852.7

5 बैंक समाधान विवरणी:

स्व स्त्रोत: दिनांक 31-03-2018 को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता "क" का अंतिम शेष	1343602.00
अनुदान: दिनांक 31-03-2018 को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता "ख" का अंतिम शेष	2115250.70
दिनांक 31-03-2018 को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता **"क" व "ख" का कुल अंतिम शेष**	**3458852.70**
दिनांक 31-03-2018 को पंचायत के बैंक खातों के अनुसार खाता "क" व "ख" का कुल अंतिम शेष	3458741.70
दिनांक 31-03-2018 को हस्तगत शेष	111.00
दिनांक 31-03-2018 को हस्तगत शेष सहित कुल बैंक शेष	**3458852.70**
अंतर की राशि	**00**

5.1 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा l यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा l इसी तरह, नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा l परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जो की अनियमित है l जिसके सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या :61 दिनांक 31-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे

स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसकी अनुपालना में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक जीपीसी-117/18 दिनांक 11-09-2018 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण दिया कि " बर्तमान में खाता (क) सभा निधि व अन्य मदों की रोकड़ वही एक ही है। जिसे अब आगामी माह से पृथक कर दिया जाएगा व अलग से निर्माण किया जाएगा। " अत: भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये l

5.2 नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना :-

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाब हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) सहपठित नियम 4 के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के रूप में नहीं रखा गया है। जिसके कारण किसी भी स्तर पर गल्ती होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते तैयार कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त स्व: स्त्रोत आय को खाता-क व अनुदानों को खाता–ख में जमा करना सुनिश्चित करें।

6 निवेश:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर जिससे ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :61 दिनांक 31-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक जीपीसी-117/18 दिनांक 11-09-2018 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण दिया कि "भविष्य में पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर उपलब्ध अतिरिक्त निधियों से ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा अन्य प्रतिभूतियों में सावधि जमा योजना में निवेश किया जाएगा।" अत: भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹21.15 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान ₹21,15,251 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को

विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :61 दिनांक 31-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसकी अनुपालना में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक जीपीसी-117/18 दिनांक 11-09-2018 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण दिया कि "31-03-18 को ₹21,15,250 की जो अनुदान राशि पंचायत के पास शेष है वह आगामी वित्त वर्ष में उपयोग कर ली जाएगी। " अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इस राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 पंचायत राजस्व ₹.003 लाख वसूली हेतु शेषः-

अंकेक्षण में पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/18 को गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹340 शेष थी जोकि आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :61 दिनांक 31-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसकी अनुपालना में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक जीपीसी-117/18 दिनांक 11-09-2018 के तहत स्पष्टीकरण दिया कि **"31-03-18 को संपति कर की शेष ₹340 वर्ष 2018-19 में वसूल कर ली जाएगी।"** अतः राजस्व की बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(1) गृह कर

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	960	13260	14220	200	14020
2016-17	14020	13350	27370	26850	520
2017-18	520	13360	13880	13540	340

(2) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹.02लाख की कम वसूली:

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या: PCH-HA(1) 8/2013-Marriage 8017-8106 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200/- (बी.पी.एल.परिवार ₹25/-) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400/- (बी.पी.एल.परिवार ₹50/-) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण में पाया कि निम्न विवरणानुसार ₹1790 का विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल नहीं किया गया था जोकि आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :61 दिनांक 31-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक जीपीसी-117/18 दिनांक 11-09-2018 के

अन्तर्गत स्पष्टीकरण दिया कि "विवाह पंजीकरण रजिस्टर अनुसार ₹1790 के इस शुल्क को संबन्धित व्यक्तियों से वसूल कर लिया जाएगा।" अत: इस राशि को अब नियमानुसार उचित स्त्रोत से वसूल करके पंचायत की निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रमांक संख्या	पंजीकरणकी दिनांक	शादीकी दिनांक	पंजीकरणकी दिनांक	पंजीकरण शुल्क	वसूलकी गईराशी	शेषराशी
1	16/2016	11/9/16	1/12/16	400	0	400
2	17/2016	1/12/16	17/12/16	200	0	200
3	18/2016	4/12/16	19/12/16	200	100	100
4	19/2016	1/12/16	23/12/16	200	0	200
5	1/2017	17/1/17	22/2/17	400	0	400
6	2/2017	18/2/17	27/2/17	200	0	200
7	3/2017	5/2/17	1/3/17	200	10	190
8	5/2017	2/2/17	19/3/17	400	300	100
कम वसूली गई राशि				**2200**	**410**	**1790**

(3) सीमेंट स्टॉक का अंतिम शेष शून्य दर्शाना:

पंचायत के 14वें वितायोग के सीमेंट स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि सीमेंट स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 3 दिनांक 4/10/2017को स्टॉक में 6 सीमेंट के बैग शेष थे मगर जांच में पाया गया कि पंचायत ने स्टॉक अन्तिम शेष में सीमेंट का बकाया शून्य दर्शया गया इसके अतिरिक्त **स्टॉक रजिस्टर में फ्लूइड से संदिग्ध कटिंग** पाई गयी जो कि गम्भीर आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 61 दिनांक 31-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसकी अनुपालना में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक जीपीसी-117/18 दिनांक 11-09-2018 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण दिया कि "14 वां वित्तआयोग सीमेंट स्टॉक रजिस्टर में 09-02-17 को 50 बैग, 19-02-17 को 190 बैग, 12-04-17 को 180 बैग HPSCSC पट्टा से क्रय किए गए हैं व 420 बैग ही विभिन्न कार्यों पर जारी किए गए हैं। जो 6 बैग दिनांक 04-10-17 को प्रपट मात्रा में दर्शाये गए हैं वह उस दिनांक को स्टॉक में शेष थे।" किसी भी अभिलेख में फ्लुइड/ओवर राइटिंग का प्रयोग ऐसे अभिलेख को संदिग्ध बनाता है अत: अभिलेख में मानवीय चूक की शुद्धि हेतु नियमों में वर्णित प्रक्रिया अमल में लाई जानी अपेक्षित थी, इसलिए वस्तुस्थिति की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

9 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :61 दिनांक 31-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसकी अनुपालना में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक जीपीसी-117/18 दिनांक 11-09-2018 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण दिया कि " ग्राम पंचायत का खाता(क) सभा निधि का बजट नियमानुसार ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया है। " जोकि उक्त नियम की अनुपालना हेतु प्ररूप-11 में नहीं है। अतः भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन प्ररूप-11 में तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार रोकड़ वही बनाए रखने संबंधी नियम 7(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार रोकड़ वही बनाए रखने संबंधी नियम 7(1) के प्रावधानानुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख होगी जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था। किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 के इस प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है, अंकेक्षण अधियाचना संख्या :61 दिनांक 31-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसकी अनुपालना में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक जीपीसी-117/18 दिनांक 11-09-2018 के तहत स्पष्टीकरण दिया कि " बित्त नियम 7(1)(2) अनुसार ही ग्राम पंचायत की अनुमति से ही बिल वाउचरों की अदायगी की जाती है लेकिन बिलों पर प्रस्ताव संख्या और दिनांक नहीं लिखी है जोकि भविष्य में सभी बिलों पर अंकित कर ली जाएगी।" अत: तुरंत प्रभाव से हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 के इस प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

11 हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालन न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। सभी बिलों को केबल पंचायत प्रधान के हस्ताक्षरों से ही केवल अंकों में ही पारित किया गया था न कि उपरोक्त नियमानुसार प्रधान तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से पारित किया गया था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या :61 दिनांक 31-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसकी अनुपालना में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक जीपीसी-117/18 दिनांक 11-09-2018 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण दिया कि " बिल वाउचरों पर भुगतान आदेश में सचिव के हस्ताक्षर नहीं थे जोकि भविष्य में सभी बिलों पर करवाये जा रहे हैं। अंकेक्षण अवधि के सभी बिलों पर सचिव के हस्ताक्षर कर लिए गए हैं।" अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड किए बिना किए गए सभी संदायों/भुगतानों हेतु सभी बिल/वाउचरों पर नियमानुसार शब्दों तथा अंकों दोनों में संयुक्त रूप में भुगतान आदेश रिकार्ड किये जाएँ एवं अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड करने उपरांत ही कोई भी संदाय/भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.61लाख के स्टॉक /स्टोर का क्रय करना:

अंकेक्षण में वाउचरों की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5), 69 एवं 70 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है।

परिशिष्ट "2" टिप्पणी-1 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹2,61,211/-** के स्टॉक स्टोर का क्रय हि० प्र० पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5), 69 एवं 70 के प्रावधानों के अनुसार न करके एवं निविदा सम्बन्धी अन्य कागजी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया।

स्टोर/ स्टॉक का क्रय उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :61 दिनांक 31-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसकी अनुपालना में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक जीपीसी-117/18 दिनांक 11-09-2018 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण दिया कि "ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर आदि सामग्री की कुटेशनें प्रत्येक वर्ष हेतु ली गईं हैं। कुछ सामग्री जैसे सरिया, पीवीसी पाइपें, एंगल आदि की कुटेशनें नहीं ली गईं थीं जोकि भविष्य में कुटेशन उपरांत ही क्रय की जाएंगी। सभी प्रकार की सामग्री स्थानीय विक्रेताओं से कम से कम दरों पर ही क्रय की गईं हैं। ऐसे सभी सामग्री के बिलों की आगामी ग्राम सभा बैठक में स्वीकृति ली जाएगी।" अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 क्रय की गई ₹.66 लाख की सामग्री का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 से 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है l परन्तु पंचायत के अवधि 01-04-15 से 31-03-18 तक के चयनित मासों के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट "2" टिप्पणी-2 में दिये गए

विवरणानुसार ₹65,812 की सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था l जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि कार्यालय व्यय की मदों को स्टॉक में नहीं लिया जाता है।

यह एक गम्भीर अनियमितता है l अंकेक्षण अधियाचना संख्या :61 दिनांक 31-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसकी अनुपालना में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक जीपीसी-117/18 दिनांक 11-09-2018 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण दिया कि "पंचायत द्वारा क्रय की गई सभी प्रकार की सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी वस्तु की प्रविष्टि दर्ज करने में छूट गई हो तो उसे भी संबन्धित रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। ग्राम पंचायत को बताया गया है कि भविष्य में क्रय कि गई सभी मदों की विशेषताओं जैसे आकार, प्रकार क्षमता एवं मात्रा इत्यादि को बिलों व संबन्धित स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज करना सुनिश्चित करें।" अत: पंचायत/ विभागीय स्तर पर आवश्यक विस्तृत जांच उपरांत इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

14 ₹7.44 लाख के निर्माण कार्यों के संबंध में माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत न करना:–

अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट "2" में दिये गए विवरणानुसार** ₹7,43,975 के निर्माण कार्य के संबंध में माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत नहीं की गईं, जिसके कारण निर्माण कार्यों पर मदवार व्यय की गईं राशियों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अत: उचित स्पष्टीकरण सहित संबन्धित माप पुस्तिकाओं को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

15 ₹0.71 लाख के बिल/ वाउचरों में आवश्यक विवरणों एवं विशिष्टताओं के अभाव में चार्ज दरों की उपयुक्तता का आकलन न हो पाना:-

अंकेक्षण में **परिशिष्ट "2" व टिप्पणी-4 में दिये गए विवरणानुसार** बिल/वाउचरों में क्रय/किराय पर ली गई सामग्री एवं सामान की ढुलाई इत्यादि हेतु चार्ज दरों की उपयुक्तता का आकलन दूरी, मात्रा, आकार, प्रकार, परिमाप इत्यादि विशिष्टताओं के अभाव में नहीं हो पाया। अत: उक्त बिल/वाउचरों के अन्तर्गत क्रय सभी सामग्रियों हेतु चार्ज दरों को आवश्यक विवरणों सहित पूर्णत: न्यायसंगत ठहराया जाए अन्यथा **₹71,**254 की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाए एवं भविष्य में भी क्रय करते समय बिल/वाउचरों में चार्ज दरों को पूर्ण न्यायसंगत ठहराने हेतु आवश्यक विशिष्टताओं का समर्थित अभिलेख में उल्लेख करना/करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16 माप पुस्तिकाओं का रख-रखाव व सत्यापन नियमानुसार न करना :-

निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम प्रावधानों के अनुसार समय-2 पर निर्धारित मानकों अनुसार परीक्षण जांच संचालित करने एवं निर्माण कार्यों के निरीक्षण और परीक्षण जांच की अवस्था का प्रावधान है, ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त मापन पुस्तिकाओं का रख-रखाव एवं सत्यापन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है यद्यपि ये तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गईं परन्तु मापन पुस्तिका में हि०प्र० पंचायती राज { वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के नियम 101,103(2),104(2)(i) व 105 की अनुपालना में किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का

सत्यापन नहीं किया गया, न ही test check संचालित किये गये और न ही निर्माण कार्यों के निरीक्षण की अवस्था के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध करवाया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :61 दिनांक 31-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया जिसकी अनुपालना में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक जीपीसी-117/18 दिनांक 11-09-2018 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण दिया कि "सभी कार्यों का मूल्यांकन मापन पुस्तिका में तकनीकी सहायक द्वारा किया गया है परंतु उनका उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है जोकि भविष्य में समय-2 पर करवा लिया जाएगा व मूल्यांकन पुस्तिका उपलब्ध करवा दी जाएगी।" अत: उक्त नियमों की अनुपालना के अभाव में मूल्यांकन तथा भुगतानों का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त नियमों की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

16(2) सड़क मुरम्मत जरल सथ वार्ड 3(पेवर वर्क) कार्य में तकनीकी सहायक द्वारा कार्य का ₹0.09 लाख का अधिक मूल्यांकन

सड़क मुरम्मत जरल सथ वार्ड 3(पेवर वर्क) कार्य के सम्बन्ध में माप पुस्तिका सं० 631 पृष्ट 17 से 19 की जाँच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका में मद P/L CC 1:5:10 की मात्रा 10.17Mm^3 दर्शाई गई थी जबकि दिए गए माप के अनुसार वास्तव में इस मद की मात्रा 7.53m^3 बनती थी तथा माप पुस्तिका पृष्ट 17 से 19 तक कुल मदों की राशियों का योग दर्शाए गए कुल योग ₹55,589 की अपेक्षा ₹48,033 बनता था। इस प्रकार तकनीकी सहायक द्वारा कार्य का 5 बोरी सीमेंट सहित कुल ₹9,000 का अधिक मूल्यांकन किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :61 दिनांक 31-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसकी अनुपालना में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक जीपीसी-117/18 दिनांक 11-09-2018 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण दिया कि "इस कार्य पर पंचायत द्वारा मजदूरी पर कुल ₹52,572 की अदायगी की है। इस प्रकार मजदूरी पर कुल ₹4,539 की अदायगी मूल्यांकन से अधिक की गई है जिसे वसूल कर पंचायत खाता मैँ जमा करवादिया जाएगा। इसी प्रकार इस कार्य मैँ 64 बैग सीमेंट जारी किया गया है लेकिन मूल्यांकन पुस्तिका मैँ 59 बैग ही प्रयोग हुये हैं अत: 5 बैग ₹288.7 की दर से कुल ₹1,444 भी वसूल कर ली जाएगी।: अत: इस प्रकरण में वास्तव में हुए कुल अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत/ चूक कर्ता से करनी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, ऐसे अन्य प्रकरणों की जाँच विभाग द्वारा अपने स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति को रोकने के लिए नियमानुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा आवश्यक टेस्ट संचालित करने उपरांत ही निर्माण कार्यों हेतु सभी अदायगियां करना सुनिश्चित की जाएँ।

17 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 5(1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय / अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप -3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है| परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर० टी० जी० एस०/ ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है| इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

18 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता | इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है|

19 विविध अनियमितताएं

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही l जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त नियम की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

20 ₹0.10 लाख या इससे अधिक के सभी भुगतान इ-बैंकिंग के माध्यम से करने बारे: -

₹10000 या इससे अधिक के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरटीजीएस/एनईएफ़टी के माध्यम से किए जाने अपेक्षित हैं। अत: इस संदर्भ में प्रधान सचिव (वित्त), वित्त (विनियम) विभाग, हि० प्र० सरकार द्वारा पत्र संख्या फिन(सी)ए(3)-5/2004 दिनांक 23 अगस्त,2011 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित न करने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त नियम की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

21 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा कृत सभी व्ययों की समुचित मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :61 दिनांक 31-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसकी अनुपालना में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक जीपीसी-117/18 दिनांक 11-09-2018 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण दिया कि "उक्त नियम प्रावधानों के अनुसार सभी अभिलेख व रजिस्टर भविष्य में तैयार कर लिए जाएंगे।" अतः पंचायत द्वारा कृत सभी व्ययों की समुचित मॉनिटरिंग के लिए सभी उपयुक्त अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब/संधारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्ररूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बहियों का स्टाक रजिस्टर	4	13 (5)
2	विकास सकर्मों के निष्पादन का रजिस्टर हि० प्र० पंचायती राज(सामान्य) नियम, 1997	7	34

3	अनुदान रजिस्टर हि० प्र० पंचायती राज		
(	सामान्य) नियम, 1997 8 34		
4	डाक व्यय, बिजली, पानी व टेलीफोन बिल रजिस्टर		
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10 33	, 77 (4)
6	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
7	अनुपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर	25 72 (1)	
8	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर	26 72 (1)	ख
9	मुद्रित सामग्री का स्टाक रजिस्टर	27 72 (1) (	ग)
10	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर 31 95 (1)		
11	यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।		
12	गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।		
13.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	13 48	
14.	मस्ट्रोल निर्गम, स्टॉक रजिस्टरों का अपूर्ण रख-रखाव		
15	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2)(v)
14	वर्गीकृत सार 8 29 (4)		

22 प्रत्यक्ष-सत्यापन: –

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के अन्तर्गत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में बिद्यमानता/ उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी एक गंभीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :61 दिनांक 31-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसकी अनुपालना में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा क्रमांक जीपीसी-117/18 दिनांक 11-09-2018 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण दिया कि "उक्त नियमानुसार पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन भविष्य में करवा लिया जाएगा।" अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

23 लघु आपति विवरणिका:- संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

24 निष्कर्ष:- संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में और सुधार एवं कड़ी निगरानी/अनुश्रवण(मोनिट्रिंग) की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)67/2018 खण्ड–1–7605–7608 दिनांक 12.11.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत चकमोह, विकास खण्ड बिझड़ी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046